

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०-66/2005(खंड-2)

/कृ०, पटना, दिनांक

सितम्बर, 2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय,, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स सिजेन्टा इण्डिया लि०,
द्वारा-कृष्णा सीड्स,
H/O-शुभेन्दु प्रियदर्शी, ऑपोजिट आलोक पेट्रोल पम्प,
NH-30, बड़ी पहाड़ी, पटना-800007

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 84-85 दिनांक 16.09.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2016 मे इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातो के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं संशोधित नियम 2015 के निहित प्रावधानो के तहत निम्नलिखित सूचीनुसार अनुज्ञप्ति संख्या 84-85 दिनांक 16.09.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2016 में इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम	सी०आई०बी० रजिस्ट्रेशन नं०
1	M/s Biostadt India Ltd.	Lambda cyhalothrin 5% EC	CIR-45,364/2003- Lambdacyhdalothrin (EC)(337)- 167
2		Thiamethoxam 25% WG	CIR-56,677/2007- Thiamethoxam (WG)(274)-275

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स एस० सी० जॉनसन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, ऑपोजिट हेवी इस्पात, शितला माता मंदिर रोड़, छोटी पहाड़ी, अगमकुँआ, पटना-07

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

4269

/कृ०, पटना, दिनांक 06

31/8/16
सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।